न्यूज़ टुडे

संसदीय समिति ने पराली जलाने एवं इससे संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए उपाय सुझाए

संसदीय समिति ने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग नियम, 2023** के तहत **पराली जलाने** पर किसानों पर लगाए जाने वाले **पर्यावरणीय मुआवजे** (EC) की जांच की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग नियमों को **2024 में संशोधित** किया गया था।

- पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरणीय मुआवजा एक नीतिगत उपकरण है, जो **प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत** पर काम करता है।

संसदीय समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें

- **एकीकृत राष्ट्रीय नीति:** कृषि अवशेषों को **जैव ऊर्जा उत्पादन** में परिवर्तित करने के लिए एक एकीकृत नीति तैयार की जानी चाहिए।
  - इसमें फसल अवशेष प्रबंधन आदि के लिए **बाह्य-स्थाने लागत (Ex-situ costs)** का समाधान होना चाहिए।
  - साथ ही, इसमें कृषि अवशेषों को **बायो इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और बायोमास पेलेट्स** आदि में परिवर्तित करने हेतु नवीन तकनीकों को अपनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **आर्थिक प्रोत्साहन:** पराली के लिए **न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान** करने की आवश्यकता है।
- **प्रशासन और निवारण तंत्र को मजबूत करना:** गलत या विवादित चालान से संबंधित किसानों की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति की जानी चाहिए।
- **अन्य:**
  - राज्य सरकारों को किसानों को **पूसा 44 की** जगह कम अवधि में तैयार हो जाने वाली धान-किस्मों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ध्यातव्य है कि पूसा-44 को तैयार होने में 155-160 दिन लगते हैं, जबकि PR-126 जैसी किस्मों को तैयार होने में महज 123-125 दिन लगते हैं।
  - **फसल विविधीकरण योजना** जैसी योजनाओं के तहत चल रहे **फसल विविधीकरण प्रोत्साहनों** के प्रभावों का समय-समय पर आकलन किया जाना चाहिए।
  - **फसल के रकबे (Acreage) की रियल-टाइम मैपिंग** तथा फसल की परिपक्वता और मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने वाली प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए।
  - **फसल अवशेष एकत्रित** करने के लिए विभिन्न जिलों में अंतरिम भंडारण सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए **पर्यावरणीय मुआवजा फंड्स** का उपयोग करने की आवश्यकता है।

पुरातात्विक स्थलों के अमर चिह्नों के संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं

जलवायु परिवर्तन और चरम-मौसम के पैटर्न भारत के विरासत स्थलों के समक्ष गंभीर खतरा उत्पन्न कर रहे हैं।

- **भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** सांस्कृतिक विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए **जलवायु अनुकूल उपायों** के साथ-साथ कई **कानूनी और सुरक्षा पहलों** को भी अपना रहा है।

ASI पर्यावरणीय क्षति से सांस्कृतिक स्थलों की रक्षा कैसे कर रहा है?

- **वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग: रासायनिक, जैव-रोधी (Biocidal) और जल-प्रतिरोधी (Hydrophobic)** तकनीक अपनाई जा रही हैं।
- **इसरो (ISRO)** के सहयोग से ऐतिहासिक स्थलों पर **स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) की स्थापना** की जा रही है, ताकि मौसम पर निगरानी रखी जा सके।
- **ताजमहल (आगरा)** जैसे संवेदनशील स्मारकों पर प्रदूषण स्तर पर नजर रखने के लिए **वायु प्रदूषण निगरानी प्रयोगशालाएं** स्थापित की गई हैं।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और ASI के सहयोग से **आपदा प्रबंधन दिशा-निर्देश** तैयार किए गए हैं। इनका उद्देश्य आपदा जोखिम मूल्यांकन, आपदा से निपटने की तैयारी करना और रिकवरी योजनाएं बनाना है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के बारे में

- इसकी **स्थापना 1861** में की गई थी। इसे **राष्ट्रीय महत्त्व के पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा** की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- **कार्य-संचालन:** यह निम्नलिखित कानूनों के तहत अपने दायित्वों को निभाता है:
  - प्राचीन संस्मारक संरक्षण अधिनियम, 1904; तथा
  - प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958.

कानूनी और सुरक्षा उपाय:

- **कानूनी संरक्षण: प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958** के तहत विरासत स्थलों को अतिक्रमण एवं दुरुपयोग से बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
  - इस अधिनियम की **धारा 30** के तहत **स्मारकों को नुकसान पहुंचाने या दुरुपयोग करने पर दंड का प्रावधान** किया गया है।
- **अतिक्रमण रोकना:** सुपरिंटेंडिंग पुरातत्वविदों को **सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971** {Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971} के तहत अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार दिया गया है।
- **सुरक्षा बलों की तैनाती:** विरासत स्थलों पर **CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल)** की तैनाती की गई है।
- **राष्ट्रीय संरक्षण नीति, 2014 को अपनाना:** इस नीति का उद्देश्य स्मारकों का रखरखाव और संरक्षण करना है।

ICRISAT अध्ययन के अनुसार सुलभ और किफायती पोषण के बावजूद ग्रामीण भारत में प्रोटीन की कमी बनी हुई है

अध्ययन में एक आश्चर्यजनक विरोधाभास वाली स्थिति का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि उन ग्रामीण घरों में भी प्रोटीन की व्यापक कमी बनी हुई है, जो प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का पर्याप्त उत्पादन करते हैं या उन तक पहुंच रखते हैं।

- भारत में अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में **दो-तिहाई** से अधिक परिवार अनुशंसित प्रोटीन स्रोतों की तुलना में कम प्रोटीन का अंतर्ग्रहण (Intake) कर रहे हैं। इसके चलते **प्रच्छन्न (Hidden) भुखमरी** बढ़ती है।
  - FAO के अनुसार **प्रच्छन्न भुखमरी को सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी** के रूप में भी जाना जाता है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, **जब लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं** करती है।

प्रोटीन की कमी के लिए जिम्मेदार कारण:

- **दालें, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे जैसे प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का कम उपयोग:** यह मुख्य रूप से सांस्कृतिक खाद्य प्राथमिकताओं, पोषण संबंधी सीमित जागरूकता और वित्तीय बाधाओं के कारण है।
- **असंतुलित पोषक तत्वों का अंतर्ग्रहण:** अनाज-भारी आहार (चावल और गेहूं) में आवश्यक अमीनो एसिड की कमी होती है, जिससे संतुलित पोषण प्राप्त नहीं होता है।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS):** PDS ने कैलोरी सेवन में सुधार किया है, लेकिन यह मुख्य रूप से चावल और गेहूं पर केंद्रित रहा। इससे अनाज-प्रधान आहार की आदत बढ़ी, लेकिन प्रोटीन की कमी बनी रही।
- **महिला शिक्षा:** शिक्षित महिलाओं वाले परिवारों में संतुलित आहार की संभावना अधिक होती है।

इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स (ICRISAT) के बारे में

- **स्थापना:** इसे 1972 में स्थापित किया गया था।
- भारत सरकार ने **संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के तहत ICRISAT को "अंतर्राष्ट्रीय संगठन"** का दर्जा प्रदान किया है।
- **विज़न:** समृद्ध, खाद्य-सुरक्षित और लचीला शुष्क क्षेत्र विकसित करना।
- **मिशन:** शुष्क भूमि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में गरीबी, भुखमरी, कुपोषण और पर्यावरणीय क्षरण को कम करना।

सिफारिशें:

- **पोषण शिक्षा:** पोषण शिक्षा को लोक स्वास्थ्य कार्यक्रमों और स्कूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- **संदर्भ विशिष्ट दृष्टिकोण:** वन साइज फिट्स ऑल दृष्टिकोण की बजाय संदर्भ-विशिष्ट दृष्टिकोण और क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है।
- **PDS में सुधार:** प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को PDS में शामिल किया जाना चाहिए।
- **कृषि प्रणालियों का विविधीकरण:** इसमें मिलेट्स, फलियों जैसी पोषक तत्वों से भरपूर फसलों की खेती और डेयरी पशुओं को एकीकृत करना शामिल है।

भारत की जैव-ऊर्जा क्षमता के उपयोग को रेखांकित किया गया

भारत की **जैव-ऊर्जा (Bioenergy) क्षमता को इंडिया एनर्जी वीक 2025** के दौरान रेखांकित किया गया।

जैव-ऊर्जा क्या है?

- जैव-ऊर्जा एक प्रकार की अक्षय ऊर्जा है, जो **बायोमास ईंधन को जलाने से उत्पन्न** होती है। बायोमास ईंधन जैविक सामग्री (जैसे कि फसलों के अवशेष, खेतों से निकलने वाले जैविक अपशिष्ट इत्यादि) से प्राप्त होते हैं।
  - **बायोमास** वास्तव में **लकड़ी, गोबर, चारकोल** जैसे जैविक-स्रोत (Biological origin) वाले पदार्थ होते हैं।
- **जैव-ऊर्जा की प्रमुख श्रेणियां:**
  - **पारंपरिक जैव ऊर्जा:** यह लकड़ी, पशु-अपशिष्ट जैसे बायोमास का दहन करके उत्पादित की जाती है।
  - **आधुनिक जैव ऊर्जा:** इसमें **तरल जैव-ईंधन, बायोगैस** आदि शामिल हैं।

जैव-ऊर्जा क्षेत्रक में भारत की स्थिति

- **एनर्जी मिक्स में योगदान:** आधुनिक जैव-ऊर्जा आज **भारत की कुल अंतिम ऊर्जा खपत में 13% योगदान** देती है। **वर्ष 2023-2030** के बीच इसमें **45% वृद्धि होने का अनुमान** लगाया गया है।
  - भारत **वैश्विक जैव-ऊर्जा मांग में एक-तिहाई से अधिक वृद्धि** का योगदान देगा।
- **भारत में जैव-ऊर्जा के लिए अनुकूल स्थिति:** भारत में **750 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) वार्षिक बायोमास** का उत्पादन होता है। इसका उपयोग जैव-ऊर्जा उत्पादन में किया जा सकता है।
- **भारत के जैव-ऊर्जा लक्ष्य**
  - **2025/ 26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण** का लक्ष्य रखा गया है।
  - भारत का लक्ष्य **2030 तक डीजल में 5% बायोडीजल मिलाने** का है।
  - **भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2028-29 से प्राकृतिक गैस नेटवर्क में संपीडित बायोगैस (CBG) के 5% मिश्रण को अनिवार्य कर दिया है।**

जैव-ऊर्जा के लाभ

किसानों की आय में वृद्धि	तेल-आयात में कमी	नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति	अन्य लाभ
जैव-ऊर्जा फसलों की खेती को बढ़ावा मिलने से किसानों की आय में वृद्धि होगी।	विदेशों से तेल आयात पर निर्भरता कम होगी।	2070 तक कार्बन न्यूट्रैलिटी प्राप्त करने में सहायक है।	सर्कुलर इकॉनमी जैसी पहलों को बढ़ावा देगी।

जैव-ऊर्जा के समक्ष मुख्य चुनौतियां:

- **फीडस्टॉक की पर्याप्त आपूर्ति** नहीं है। इस वजह से जैव-ऊर्जा की गुणवत्ता और निरंतर उत्पादन पर संदेह उत्पन्न होता है।
- देश के अलग-अलग हिस्सों में **बायोमास की उपलब्धता पर सार्वजनिक डेटा** की कमी है।
- **जैव-ऊर्जा भंडारण के विकल्प सीमित** हैं, आदि।

जैव-ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय:

- **एकीकृत फीडस्टॉक मूल्यांकन प्रणाली** विकसित करने की जरूरत है।
- **संपीडित बायोगैस (CBG) उत्पादन को ट्रैक करने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री** स्थापित की जानी चाहिए।
- **बायोगैस और बायोमीथेन प्लांट के लिए तकनीकी मानकों** को लागू करना चाहिए, आदि।

जैव-ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई मुख्य पहलें

- **राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम (NBP) की शुरुआत:** इसमें **अपशिष्ट से ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस कार्यक्रम** शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018 लागू:** इसे **2022 में संशोधित** किया गया था।
- **सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT)** पहल शुरू की गई है।
- **गोबर-धन/ GOBAR-Dhan** योजना चलाई जा रही है। **GOBAR-Dhan से आशय है- गलवैनाइज़िंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज।**
- **प्रधान मंत्री जी-वन (JI-VAN) योजना** के तहत उन्नत जैव-ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

यूनेस्को ने 'इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस' अभियान शुरू किया

यह अभियान **अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस की 10वीं वर्षगांठ का प्रतीक है।** साथ ही, यह #EveryVoiceInScience का उपयोग करके अलग-अलग दृष्टिकोणों के सकारात्मक प्रभाव को भी उजागर करता है।

- ज्ञातव्य है कि **संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 2015 में 11 फरवरी को 'अंतर्राष्ट्रीय महिला एवं बालिका विज्ञान दिवस'** के रूप में घोषित किया था।

विज्ञान में लैंगिक असमानता

- **वैश्विक स्तर पर:**
  - **कम भागीदारी:** वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक समुदाय में महिलाओं की भागीदारी केवल एक तिहाई है।
  - **नेतृत्व में कमी: 10 में से केवल 1** महिला ही STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित) क्षेत्रों में नेतृत्वकारी भूमिका में है।
- **भारत में:**
  - STEMM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा) में महिलाओं का नामांकन 43% है।
  - भारत में **महिला वैज्ञानिकों की संख्या 18.6% है, जबकि 25% शोध परियोजनाएं महिलाएं** चला रही हैं।

चुनौतियां

- **सामाजिक एवं सांस्कृतिक मानदंड,** जैसी प्रतिबंधात्मक लैंगिक भूमिकाएं,
- **रोल मॉडल की कमी,** जैसे विज्ञान के क्षेत्र में विख्यात महिलाओं की कम संख्या,
- **कार्यस्थल असमानता,** जैसे पक्षपातपूर्ण वर्क कल्चर आदि।

उठाए जाने वाले कदम

मानक	सुझाए गए उपाय
विज्ञान में लैंगिक रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों को खत्म करना	निम्नलिखित तरीकों से महिला रोल मॉडल के प्रचार को बढ़ाया जा सकता है: › महिला वैज्ञानिकों की खोजों और कहानियों को स्कूलों की पाठ्यपुस्तकों में शामिल करना चाहिए। › प्रासंगिक बोर्डों, समितियों और पैनल में महिलाओं का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।
विज्ञान में लड़कियों के लिए शिक्षा के विकल्प खोलना	इसके लिए नवीन एवं प्रेरक शैक्षिक रणनीतियों एवं पहलों का उपयोग किया जा सकता है, जैसे: › टीचिंग और लर्निंग सामग्रियों से लैंगिक पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाहिए। › विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं को बढ़ावा देने वाली कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जैसी पहलों को लागू करने हेतु कंपनियों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
महिला वैज्ञानिकों के लिए अनुकूल कार्यस्थल बनाना	कार्यस्थल पर समावेशिता, विविधता और समानता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां अपनानी चाहिए, जैसे: › लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न सहित लैंगिक हिंसा के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। › नेतृत्वकारी पदों पर महिलाओं को बढ़ावा देना चाहिए।

अन्य सुर्ख़ियां

नमस्ते (NAMASTE) योजना

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने नमस्ते योजना के तहत सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों को PPE किट और आयुष्मान कार्ड वितरित किए।

नमस्ते योजना (नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम) के बारे में

- **उद्देश्य:** सफाई कर्मचारियों के औपचारिकीकरण व मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** संयुक्त रूप से **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) तथा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** द्वारा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम (NSKFDC)**
- **अवधि: वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 (3 वर्ष)** तक।
- **लक्षित समूह:** सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारी (SSWs), और कचरा बीनने वाले। कचरा बीनने वालों को 2024 में इसके तहत शामिल किया गया है।

वैश्विक क्षमता केंद्र (Global Capability Centers: GCC)

मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने **समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) नीति** प्रस्तुत की है।

वैश्विक क्षमता केंद्र (GCC) के बारे में

- GCC वे केंद्र हैं, जिन्हें कंपनियां अपनी **संगठनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और व्यावसायिक परिवर्तन** को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित करती हैं। ये केंद्र **वैश्विक प्रतिभा पूल और तकनीकी नवाचारों** का उपयोग करते हुए व्यापारिक प्रक्रियाओं को प्रभावी बनाते हैं।
- भारत के GCCs **रणनीतिक केंद्रों के रूप में उभर** रहे हैं। ये केंद्र **वैश्विक व्यापार गतिशीलता को प्रभावित करते हुए भारतीय कॉर्पोरेट परिदृश्य** को नया आकार दे रहे हैं।
- **वर्तमान परिदृश्य:** भारत में GCCs की संख्या वित्त वर्ष 2019 में लगभग 1430 थी। यह वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर 1700 हो गई है।
  - **वित्त वर्ष 2024 तक, भारत में GCCs में लगभग 1.9 मिलियन पेशेवर कार्यरत है।**

अभ्यास एकुवेरिन

भारतीय थल सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'एकुवेरिन' का **13वां संस्करण मालदीव** में शुरू हो गया है।

अभ्यास एकुवेरिन के बारे में

- यह एक **द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास** है। इसका आयोजन **भारत और मालदीव में बारी-बारी** से किया जाता है।
  - मालदीव में बोली जाने वाली **धिवेही भाषा में एकुवेरिन का अर्थ 'मित्र'** होता है।
- **उद्देश्य:**
  - उग्रवाद और आतंकवाद-रोधी अभियानों में अंतर-संचालनशीलता को बढ़ाना; तथा
  - संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियान संचालित करना।

अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान

राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) ने **केरल** को अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान की वन भूमि का उपयोग करके **सिलंधी नदी** पर एक चेक डैम बनाने को मंजूरी प्रदान की।

- **सिलंधी अमरावती नदी** की एक सहायक नदी है। अमरावती **कावेरी नदी की सहायक नदी** है।

अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में

- **अवस्थिति:** पश्चिमी घाट (इडुक्की जिला, केरल)।
- **आसपास के संरक्षित क्षेत्र:** एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पम्पादम शोला राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य और मेतिकेट्टन शोला पार्क।
- **सबसे ऊंची चोटी: अनामुडी** (2,695 मीटर)।
- **वनस्पति:** दक्षिणी उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन, दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन और आर्द्र पर्णपाती वन।
- **जीव-जंतु:** हाथी, बाघ, तेंदुआ, इंडियन बाइसन, नीलगिरि तहर, गौर, चित्तीदार हिरण, सांभर, आदि।

ओंगोल नस्ल

ब्राजील में एक नीलामी में ओंगोल नस्ल की **गाय** रिकॉर्ड 41 करोड़ रुपये में बिकी है। इसका नाम **वियाटिना-19** है।

ओंगोल नस्ल के बारे में

- इसे **नेल्लोर नस्ल** की गाय भी कहा जाता है। यह **आंध्र प्रदेश** में पाई जाती है।
- **इस नस्ल की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर:**
  - ओंगोल का आकार बड़ा होता है। इसकी खाल गर्दन पर ढीली होती है।
  - इसका माथा आंखों के बीच चौड़ा और थोड़ा उभरा हुआ होता है। आंखें अण्डाकार आकार की होती हैं।

अन्य महत्वपूर्ण स्वदेशी नस्लें: गिर (गुजरात), हल्लीकर (कर्नाटक), खिल्लारी (महाराष्ट्र), थारपारकर (राजस्थान), देवनी (आंध्र प्रदेश) आदि।

फेमा/ FEMA, 1999

कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सरकारी बैंकों को विदेशी बैंकों से गारंटी प्राप्त करके **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा/ FEMA), 1999 का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को दंडित** करने का निर्देश दिया है।

विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा/ FEMA), 1999 के बारे में

- इसे **विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (FERA), 1973 की जगह** लाया गया है।
- **उद्देश्य:** बाह्य व्यापार और भुगतान को सुगम बनाना, व्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार विकास को बढ़ावा देना आदि।
- **अधिकार क्षेत्र:** यह **संपूर्ण भारत तथा विदेश स्थित भारतीय संस्थाओं** पर लागू होता है।
- **प्रवर्तन निदेशालय (ED)** अधिनियम के तहत **उल्लंघनों की जांच** करता है।

तिरुपरंकुन्द्रम पहाड़ी

मद्रास हाई कोर्ट ने **तमिलनाडु सरकार को तिरुपरंकुन्द्रम पहाड़ी में सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का निर्देश** दिया है।

तिरुपरंकुन्द्रम पहाड़ी (Thiruparankundram hill) के बारे में

- यह **मदुरै जिले** में स्थित है।
- यहां **शैल कर्तित तिरुपरंकुन्द्रम मंदिर** भी मौजूद है।
  - इस मंदिर का निर्माण **8वीं शताब्दी में पांड्यों** के शासनकाल के दौरान किया गया था।
  - यह **भगवान मुरुगन के छह मंदिरों में से एक है,** जो दक्षिण भारत के प्राचीन तमिल लोगों के प्रमुख देवता हैं तथा योद्धा देवी कोर्रावाई के पुत्र हैं।
- यहां **मदुरै सल्तनत** के अंतिम सुल्तान **सिकंदर शाह** की दरगाह भी स्थित है।
- इसके अलावा, यहां **जैन धर्म से संबंधित गुफाएं** भी मौजूद हैं।

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस/ NIMHANS)

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस/ NIMHANS) ने अपना **50वां संस्थान दिवस मनाया।**

निम्हांस/ NIMHANS के बारे में

- **स्थापना:** इसे 1972 (**बेंगलुरु**) में स्थापित किया गया था।
- **मिशन:** रोगियों को सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करना, अग्रणी शोध करना और उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करना।
- **संस्थान की स्थिति:** इसे 1994 में **डीम्ड विश्वविद्यालय** घोषित किए गया था। वर्ष 2012 में संसद द्वारा अलग अधिनियम के माध्यम से इसे **'राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान'** का दर्जा दिया गया था।
- इसे महत्वाकांक्षी **टेली मानस/ Tele MANAS (टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेशनली एक्शनेबल प्लान थ्रू स्टेटस)** कार्यक्रम के लिए **नोडल केंद्र** नामित किया गया है।
  - **टेली मानस** देश भर में उपलब्ध **टोल-फ्री हेल्पलाइन** (14416) है, जो **मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं** प्रदान करती है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

जगदीश चंद्र बोस (1858 - 1937)

अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF) ने वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान को सराहने के लिए एक नई योजना **जगदीश चंद्र बोस अनुदान (JBG) शुरू** करने की घोषणा की।

जगदीश चंद्र बोस के बारे में

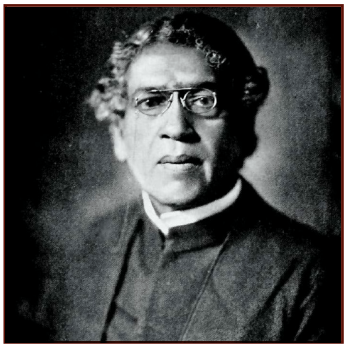

- वे 1904 में अमेरिकी पेटेंट **पाने वाले पहले एशियाई थे।**
- उन्होंने **रेडियो माइक्रोवेव ऑप्टिक्स की जांच की थी और उन्हें रेडियो एवं वायरलेस संचार का जनक** माना जाता है।
- **प्रमुख योगदान:**
  - वह पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने यह साबित किया था कि पेड़-पौधों में भी दर्द और स्नेह महसूस करने की क्षमता होती है।
- **प्रमुख आविष्कार:**
  - **क्रेस्कोग्राफ:** यह **पेड़ों की वृद्धि को मापने** के लिए उपयोग किया जाता है।
  - उन्होंने **प्रथम वायरलेस डिटेक्शन डिवाइस** का भी आविष्कार किया था।
- उन्होंने 1917 में एक प्रमुख शोध संस्थान, **बोस इंस्टीट्यूट की** स्थापना की थी।
- उन्हें **बंगाली विज्ञानकथा-साहित्य का जनक** भी माना जाता है।
- **प्रमुख साहित्यिक कार्य:** विज्ञान शोध-पत्र "ऑन द सिमिलॅरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिस इन इनऑर्गेनिक एंड लिविंग मैटर", "द नर्वस मेकेनिज्म ऑफ़ प्लांट्स", और निरुद्देशेर कहानी।